राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एम–387/94)/अलेसे–II/283-84 दिनांक :– 07.06.2022

श्री मनोज कुमार जैन,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता),
खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर।

विषयः– नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– निदेशालय के आदेश क्रमांक 676 (आदेश संख्या 26/21–22) दिनांक 30.09.2021, परिपत्र क्रमांक 1280 दिनांक 04.02.2022 एवं क्रमांक 279 दिनांक 17.05.2022

विभागीय आदेश क्रमांक 676 (आदेश संख्या 26/21–22) दिनांक 30.09.2021 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर से निदेशक, टी आर आई जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में किया गया था परंतु उक्त आदेश की पालना आपके द्वारा आदिनांक तक भी नहीं की गई है, जो कि राजकीय आदेशों की घोर अवहेलना है। निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 1280 दिनांक 04.02.2022 द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें। यह भी निर्देशित किया गया था कि किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए आदेशों की अवेहलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। पुनः परिपत्र क्रमांक 279 दिनांक 17.05.2022 द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 20.05.2022 तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना निदेशालय को प्रेषित करावें, अन्यथा नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवेहलना के क्रम में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।

अतः आदेश दिनांक 17.05.2022 की अनुपालना में कार्यग्रहण की सूचना निदेशालय को प्रेषित करे अन्यथा आदेशों की अवहेलना के कम में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एम–387/94)/अलेसे–II/283-84 दिनांक :– 07.06.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर ।
2. निदेशक, टी आर आई जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर ।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

E:\Sis II\Rajesh ji\ Simple letter

1306